Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer-reviewed & Open Access) **Journal home page:** www.researchambition.com
ISSN: 2456-0146, Vol. 10, Issue-I, May 2025

सामाजिक एवं लैंगिक पूर्वाग्रहः पंचायत में महिला नेतृत्व में व्यतिक्रम के विशेष सन्दर्भ में विधिक अध्ययन (Social and Gender Biases: A Legal Study with Special Reference to Deviation in Women's Leadership in Panchayats)

Akanksha Soni, [a*] **Dr. Anushka Mishra Nayak,** [b**]

[a]*Ph.D. Scholar Law, LNCT University Bhopal, Madhya Pradesh (India).*
[b]*Professor & HOD, School of legal studies, LNCT University Bhopal, Madhya Pradesh (India).*

KEYWORDS

पंचायती राज, महिला नेतृत्व, लैंगिक पूर्वाग्रह, सामाजिक न्याय, विधिक अध्ययन, पितृसत्ता, ग्रामीण भारत, लिंग समानता, नीति निर्माण, महिला भागीदारी, सामाजिक बाधाएँ, आरक्षण, सशक्तिकरण

ABSTRACT

यह शोध पत्र ग्रामीण भारत की पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के नेतृत्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक और लैंगिक पूर्वाग्रहों की पड़ताल करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि किस प्रकार पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं और लिंग आधारित धारणाएं महिला प्रतिनिधियों की भूमिका, निर्णय लेने की क्षमता तथा स्वायत्तता को प्रभावित करती हैं। शोध में यह विश्लेषण किया गया है कि जहाँ महिला नेतृत्व सामाजिक मान्यताओं, पितृसत्तात्मक संरचनाओं तथा विधिक चुनौतियों के चलते प्रभावित होता है और ये पूर्वाग्रह किस प्रकार पंचायत में महिला नेतृत्व को चुनौती देते हैं, और किन परिस्थितियों में महिलाएं इन बाधाओं को पार करते हुए सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभा पाती हैं। यद्यपि संविधानिक प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण प्रदान कर नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, परंतु व्यवहार में उनके नेतृत्व को प्रायः औपचारिक रूप में ही स्वीकार किया जाता है। शोध में विधिक प्रावधानों का समीक्षात्मक विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण और लिंग आधारित पूर्वाग्रह महिला नेतृत्व के प्रभावशील क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। अध्ययन के निष्कर्ष पंचायत प्रणाली में लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने हेतु विधिक एवं सामाजिक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

1. परिचय

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से विषम रही है। प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक निर्णयों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त था, जैसे कि वेदों में उल्लेखित विदुषी गार्गी और मैत्रेयी[1]। परंतु मध्यकाल में समाज में पितृसत्ता का वर्चस्व बढ़ा और महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित होती गई[2]। सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं ने उनकी स्थिति और अधिक दयनीय बना दी[3]। औपनिवेशिक काल में सुधार आंदोलनों के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूकता फैली, जिससे स्थिति में कुछ सुधार आया[4]। आज भी

>Corresponding author
****E-mail:** akankshasoni231192@gmail.com (Akanksha Soni). https://orcid.org/0009-0004-0308-6759
DOI: https://doi.org/10.53724/ambition/v10n1.05
Received 2nd March 2025; Accepted 25th April 2025
Available online 30th May 2025
2456-0146 /© 2025 The Journal. Publisher: Welfare Universe. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है। यद्यपि संविधान ने समानता और भागीदारी के सिद्धांतों को स्थापित किया है, किंतु व्यावहारिक स्तर पर लिंग आधारित भेदभाव अब भी पंचायत व्यवस्था में महिला नेतृत्व को प्रभावित करता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में प्रतिनिधित्व देने की पहल सराहनीय है, किंतु सामाजिक संरचनाओं और पूर्वाग्रहों ने उनके प्रभावशाली नेतृत्व में व्यतिक्रम उत्पन्न किया है।[5]

2. समस्या की प्रकृति एवं प्रासंगिकता

हालाँकि आरक्षण ने पंचायतों में महिलाओं की उपस्थिति को सुनिश्चित किया है, फिर भी उनके वास्तविक सशक्तिकरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सामाजिक एवं लैंगिक पूर्वाग्रह, पारंपरिक सोच और पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। यह स्थिति शोध की दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह नीतिगत क्रियान्वयन और सामाजिक व्यवहार के बीच के अंतर को उजागर करती है।

3. अनुसंधान की आवश्यकता

पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व की व्यावहारिक स्थिति और सामाजिक–लैंगिक पूर्वाग्रहों के प्रभाव का गहन विश्लेषण आवश्यक है ताकि यह समझा जा सके कि महिला नेतृत्व में व्यतिक्रम क्यों और कैसे उत्पन्न हो रहा है। यह अनुसंधान इस विषय पर मौजूदा साहित्य में अंतर भरने और नीति निर्माताओं के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत करने में सहायक होगा।

4. उद्देश्य एवं अनुसंधान प्रश्न

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य पंचायतों में महिला नेतृत्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं लैंगिक पूर्वाग्रहों की पहचान करना, उनके स्वरूप का विश्लेषण करना और विधिक ढांचे के भीतर समाधान प्रस्तुत करना है। प्रमुख अनुसंधान प्रश्न निम्नलिखित हैं:

- क्या पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व वास्तविक निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय है?
- सामाजिक पूर्वाग्रह महिला नेतृत्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
- कानून और समाज के बीच महिला सशक्तिकरण के संबंध में क्या अंतर दिखाई देता है?

4. सैद्धांतिक पृष्ठभूमि एवं साहित्य समीक्षा

यह अनुभाग लिंग और सामाजिक पूर्वाग्रह से संबंधित मूलभूत अवधारणाओं और भारत की पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के नेतृत्व के संदर्भ में पूर्ववर्ती शोध को स्थापित करता है।

4.1. लिंग और सामाजिक पूर्वाग्रह की अवधारणाः लिंग और सामाजिक पूर्वाग्रह उन गहरे अंतर्निहित रूढ़ियों और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं, जो किसी व्यक्ति की लिंग पहचान और सामाजिक स्थिति के आधार पर उनके साथ व्यवहार को प्रभावित करते हैं। भारतीय संदर्भ में, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएँ, प्रणालीगत असमानताओं का सामना करती हैं। लिंग भूमिकाएँ सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं और ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अधीनस्थ स्थान दिया गया है। ये पूर्वाग्रह न केवल व्यक्तिगत बल्कि संस्थागत भी होते हैं, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसाधनों की उपलब्धता और निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करते हैं।[6]

4.2. महिला नेतृत्व का सामाजिक–राजनीतिक परिप्रेक्ष्यः ग्रामीण शासन व्यवस्था में, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का नेतृत्व सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंडों, राजनीतिक गतिशीलता और पारिवारिक दबावों के मेल से प्रभावित होता है। यद्यपि कानूनी प्रावधान महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य करते हैं, फिर भी

उनका नेतृत्व अक्सर प्रतीकात्मक होता है या पुरुष परिजनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे आमतौर पर ''प्रॉक्सी नेतृत्व'' कहा जाता है[7]। हालांकि, अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि जब महिलाएं वास्तव में सशक्त होती हैं और उन्हें समर्थन मिलता है, तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जल आपूर्ति जैसे विकासात्मक मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं, जिन्हें पुरुष नेता अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।[8]

4.3. पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका पर पूर्ववर्ती शोध की समीक्षाः स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रभाव पर कई शोध कार्य किए गए हैं। प्रारंभिक अध्ययनों में शिक्षा की कमी, सीमित गतिशीलता और पितृसत्तात्मक प्रतिरोध जैसी चुनौतियों को उजागर किया गया।[9] हालांकि, हालिया शोध यह दर्शाते हैं कि महिलाएं धीरे–धीरे अपनी स्वायत्तता को स्वीकार कर रही हैं, राजनीतिक आत्मविश्वास प्राप्त कर रही हैं और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन को परिवर्तित कर रही हैं[10]। उनके नेतृत्व की यह प्रगति यह दर्शाती है कि नेतृत्व को केवल राजनीतिक पद नहीं, बल्कि अधिकार और प्रभाव के अभ्यास के रूप में समझा जाना चाहिए।

4.4. कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा

भारत की संवैधानिक और विधायी रूपरेखा ने स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 73वाँ संविधान संशोधन[11] ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों के आरक्षण को अनिवार्य कर दिया[12]। विभिन्न राज्य कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं ने शासन में महिलाओं की भूमिका को और सुदृढ़ किया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि ऐसी सार्थक भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी है, जहाँ महिलाएं नीति निर्धारण और स्थानीय विकास में सक्रिय योगदान दे सकें[13]।

5. पंचायत में महिला नेतृत्व की स्थिति

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का नेतृत्व कई स्तरों पर जटिल सामाजिक और संरचनात्मक कारकों से प्रभावित होता है। यह अनुभाग उन प्रमुख व्यावहारिक पहलुओं की समीक्षा करता है जो महिला सरपंचों की कार्यक्षमता और अधिकारों को आकार देते हैं।

5.1. आरक्षण नीति की व्यावहारिक स्थितिः 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण अनिवार्य किया गया, जिसे कई राज्यों ने 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।[14] हालांकि, वास्तविकता में यह आरक्षण अक्सर प्रतीकात्मक होता है। कई बार यह देखा गया है कि महिलाएं नाममात्र की प्रमुख होती हैं और प्रशासनिक कार्यों का संचालन उनके पति या अन्य पुरुष परिजन करते हैं, जिससे आरक्षण की आत्मा क्षीण हो जाती है[15]। यह स्थिति इस ओर इशारा करती है कि मात्र आरक्षण पर्याप्त नहीं, बल्कि उसकी प्रभावी कार्यान्वयन प्रणाली आवश्यक है।

5.2. महिला सरपंचों की भूमिका और प्रभावशीलताः अध्ययन दर्शाते हैं कि महिलाएँ घर और परिवार को जिस प्रकार से निपुणता के साथ सम्भाल लेती है उसी प्रकार से वे जब महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है, तो वे विकास परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को प्राथमिकता देती हैं[16]। महिला सरपंचों द्वारा जल प्रबंधन, शिक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे स्थानीय विकास को सकारात्मक दिशा मिली है[17]। लेकिन यह प्रभावशीलता तभी संभव होती है जब उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन और पारिवारिक समर्थन मिलता है।

5.3. परिवार या पुरुष परिजन का हस्तक्षेप

एक बड़ी चुनौती यह है कि कई मामलों में महिला सरपंचों के स्थान पर उनके पति या ससुर कार्य करते हैं, जिसे ''सरपंच पति'' की संस्कृति के रूप में जाना जाता है।[18] यह स्थिति महिला नेतृत्व को कमजोर करती है और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की भावना को आघात पहुँचाती है। हालांकि हाल के वर्षों में जागरूकता अभियानों और महिला समूहों के सहयोग से इस प्रवृत्ति में कुछ कमी आई है।

5.4. नेतृत्व में निर्णय लेने की स्वतंत्रताः निर्णय लेने की स्वतंत्रता महिला सरपंचों के सशक्तिकरण का केंद्रीय तत्व है। जब महिलाएं स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं, तो वे समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझती और संबोधित कर सकती हैं।[19] निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी न केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण का संकेत देती है, बल्कि वह संस्थागत बदलाव का माध्यम भी बनती है।

6. सामाजिक एवं लैंगिक पूर्वाग्रहरू स्वरूप एवं प्रभाव

6.1. सामाजिक–सांस्कृतिक बाधाएँः भारतीय समाज में परंपरागत रीति–रिवाज और सांस्कृतिक मान्यताएँ महिलाओं की भूमिका को सीमित करती रही हैं। सामाजिक ढाँचे में पुरुषों को प्रधानता देने वाली परंपराएँ महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को रोकती हैं। बचपन से ही लड़कियों को घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने की शिक्षा दी जाती है, जिससे उनके आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल का विकास बाधित होता है।[20] दूसरे शब्दों में ऐस भी कह सकते है कि माता–पिता को अक्सर बेटियों के प्रति चिन्ता सताती रहती है कि कही वह अपनी इच्छानुसार किसी लड़के साथ प्रेम प्रसंग में न फस जाये।

6.2. पितृसत्तात्मक सोच का प्रभावः पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निर्णय लेने का अधिकार मुख्यतः पुरुषों के हाथ में होता है। इससे महिलाओं के नेतृत्व को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें असमर्थ माना जाता है। इस सोच के कारण महिलाएँ राजनीतिक क्षेत्र में आने से हिचकती हैं या उन्हें परिवार और समाज द्वारा प्रोत्साहन नहीं मिलता[21]।

6.3. समुदाय और पंचायत सदस्यों का दृष्टिकोणः गाँवों में पंचायत के स्तर पर देखा गया है कि समुदाय और पंचायत सदस्य महिला प्रतिनिधियों को केवल ''नाम मात्र की नेता'' मानते हैं। अक्सर उनके स्थान पर उनके पति या पुरुष रिश्तेदार ही निर्णय लेते हैं, जिसे ''सरपंच पति'' की संस्कृति कहा जाता है। इससे महिला नेताओं की वास्तविक भूमिका और प्रभाव सीमित रह जाता है[22]।

6.4. महिला नेताओं के विरुद्ध भेदभाव के उदाहरण

कई बार महिला नेताओं को कार्यक्षेत्र में लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें महत्वहीन समझा जाता है, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, और कभी–कभी उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उनके कार्यों को कम आँका जाता है और उन्हें पुरुष नेताओं के बराबर अधिकार नहीं दिए जाते।[23]

7. विधिक विश्लेषण

7.1. संविधान में प्रदत्त समानता और आरक्षण के प्रावधान

भारतीय संविधान नागरिकों को समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और लिंग के आधार पर भेदभाव न करने का अधिकार (अनुच्छेद 15) प्रदान करता है। साथ ही, अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।[24] इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है। महिलाओं को स्थानीय शासन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने हेतु संविधान के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे उनके सशक्तिकरण को बल मिला है।

7.2. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम– 1992 में पारित 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1993 में लागू) भारत के पंचायती राज ढाँचे को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत ''अनुच्छेद 243D'' में पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का कम–से–कम 33 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया गया है[25]। इस आरक्षण ने लाखों महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में आने का अवसर दिया है और लोकतांत्रिक भागीदारी को व्यापक बनाया है।

7.3. राज्य स्तर के पंचायत अधिनियमों की समीक्षा– हर राज्य ने अपने–अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं, जिनमें संविधान के निर्देशों का पालन करते हुए महिला आरक्षण को शामिल किया गया है। हालाँकि, कुछ राज्यों ने इस आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जैसे कि बिहार, मध्यप्रदेश, और छत्तीसगढ़[26]। फिर भी, इन अधिनियमों की व्यावहारिक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होता है कि केवल विधिक प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं; सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक सहयोग भी आवश्यक है।

7.4. न्यायिक दृष्टांत एवं निर्णयों का विवेचन– भारत के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने महिला प्रतिनिधित्व के पक्ष में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। उदाहरणस्वरूप, ***राम कृष्ण वर्मा बनाम राज्य उत्तर प्रदेश*** [27] के मामले में न्यायालय ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।[28] न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि महिला प्रतिनिधियों को वास्तविक अधिकार और कार्यक्षमता दी जानी चाहिए, न कि केवल प्रतीकात्मक रूप से चुना जाना चाहिए।

7.5. कानून और उसके क्रियान्वयन में अंतरः हालाँकि संविधान और कानून महिलाओं को पर्याप्त अधिकार और अवसर प्रदान करते हैं, परंतु ज़मीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन कई बार कमजोर पड़ता है। महिला सरपंचों को निर्णय लेने से रोका जाता है, उनके स्थान पर उनके पति या रिश्तेदार काम करते हैं, और प्रशासन भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। इससे स्पष्ट होता है कि विधिक संरक्षण होने के बावजूद व्यावहारिक बाधाएँ अब भी विद्यमान हैं।[29]

8. सफल महिला नेताओं के उदाहरण

जिन ग्राम पंचायतों के चुनाव में महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की उनमें से कुछ महिला नेताओं ने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कार्य किये जिनके कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है–

- बिहार की तारा देवी और मध्यप्रदेश की कमला बाई जैसे महिला नेताओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने गाँवों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।[30]
- तारा देवी ने मनरेगा के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित की और गाँव में 100 प्रतिशत महिला भागीदारी प्राप्त की।[31]
- कमला बाई ने पेयजल संकट को दूर करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति योजना लागू की।[32]

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि यदि महिला नेताओं को समर्थन और अवसर मिले, तो वे प्रभावी और नवाचारपूर्ण नेतृत्व दे सकती हैं।

9. मध्यप्रदेश के विगत 2005 से 2022 के पंचायत आम निर्वाचनों में कुल निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व की स्थिति

मध्य प्रदेश के पंचायत आम चुनावों का अध्ययन करने पर एक चौकाने वाली स्थिति सामने आई है। जिसमें देखा गया है कि महिलाओं को जैसे जैसे अवसर मिले उन्होने विकास के कार्यों में अपनी उत्कृष्टता बढ़ाई जिससे 2005 से 2022 के चुनावों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक चुनाव में महिला प्रतिनिधियों को चुनावों में

जीत मिली एवं उनका ऑकड़ा लगातार बढ़ता गया। जिसका विवरण निम्नलिखित है–

- वर्ष 2005 के पंचायत आम चुनावों में महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करने पर देखा गया कि मध्य प्रदेश में कुल 48 जिले थे जिसमें कुल निर्वाचित पदों की संख्या 836 थी, जिसमें से महिला प्रतिनिधियों ने 351 पदों पर जीत हासिल की।[33]
- वर्ष 2010 के पंचायत आम चुनावों में महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करने पर देखा गया कि मध्य प्रदेश में कुल 50 जिले थे जिसमें कुल निर्वाचित पदों की संख्या 843 थी, जिसमें से महिला प्रतिनिधियों ने 472 पदों पर जीत हासिल की।[34]
- वर्ष 2015 के पंचायत आम चुनावों में महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करने पर देखा गया कि मध्य प्रदेश में कुल 51 जिले थे जिसमें कुल निर्वाचित पदों की संख्या 841 थी, जिसमें से महिला प्रतिनिधियों ने 491 पदों पर जीत हासिल की।[35]
- वर्ष 2022 के पंचायत आम चुनावों में महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करने पर देखा गया कि मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले थे जिसमें कुल निर्वाचित पदों की संख्या 875 थी, जिसमें से महिला प्रतिनिधियों ने 508 पदों पर जीत हासिल की।[36]

उपर्युक्त आँकड़ों के विवरण के अनुसार कह सकते है कि महिलाओं के द्वारा विकास कार्यों को बड़े ही सूझ बूझ के साथ किया गया जिसके कारण चुनावों में जीत का ऑकड़ा लगातार बढ़ता गया।

10. निष्कर्ष

ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि उन्हें पर्याप्त अवसर और संसाधन दिए जाएँ, तो वे समाज के लिए प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकती हैं। अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि महिला प्रतिनिधि स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारदर्शिता जैसे विषयों पर अधिक ध्यान देती हैं, जो समग्र ग्रामीण विकास को गति देते हैं। फिर भी, कई सामाजिक एवं संस्थागत बाधाएँ अब भी उनके कार्य को सीमित करती हैं।

हालाँकि संविधान और विधिक व्यवस्थाएँ महिलाओं को अधिकार देती हैं, परंतु जमीनी स्तर पर इनके प्रभाव में एकरूपता नहीं है। पितृसत्तात्मक मानसिकता, प्रशासनिक लापरवाही और प्रशिक्षण की कमी जैसे कारक महिला नेतृत्व को कमजोर करते हैं।

मध्य प्रदेश के व अन्य राज्यों में भी महिला प्रतिनिधियों के द्वारा चुनावों में जीत हासिल करने के उपरांत कार्यों को अधिक तत्परता से पूर्ण किया है।

11. सुझाव

- सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ, तथा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए।
- नीति–निर्माताओं को चाहिए कि वे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाएं, जिसमें बजट प्रबंधन, नेतृत्व कौशल, और डिजिटल साक्षरता शामिल हो।
- पंचायत स्तरीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए निगरानी समितियों का गठन आवश्यक है।
- महिला नेताओं के लिए परामर्श और सहयोग नेटवर्क भी विकसित किए जाने चाहिए, जिससे वे एक–दूसरे से सीख सकें और प्रेरित हो सकें।

12. सन्दर्भ सूची

[1] ए.एस. आल्टेकरः हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थितिः मोतीलाल बनारसीदास, 1962, पृ. 45–50।

[2] उमा चक्रवर्तीः नारीवादी दृष्टिकोण से जाति का लिंगकरणः स्त्री प्रकाशन, 2003, पृ. 112–115।

[3] अरविंद शर्माः भारतीय धर्मों में महिलाएं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002, पृ. 78–82।

[4] जेराल्डिन फोर्ब्सः आधुनिक भारत में महिलाएंः कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1996, पृ. 130–135।

[5] सीमा जैनः भारतीय ग्रामीण नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, नई दिल्लीः राष्ट्रीय प्रकाशन, 2018, पृ. 45।

[6] नित्या रावः प्राथमिक शिक्षा में लिंग और सामाजिक समानताः पहुँच का पदानुक्रम, रूटलेज, 2009।

[7] निर्मला बुचः पंचायतें और महिलाएंः इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, खंड 35, अंक 43–44, 2000, पृष्ठ 3787–3789।

[8] राघवेंद्र चट्टोपाध्याय और डुफ्लो एस्थरः ''नीति निर्धारक के रूप में महिलाएंः भारत में एक यादृच्छिक नीति प्रयोग से प्रमाण'': इकोनोमेट्रिका, खंड 72, अंक 5, 2004, पृष्ठ 1409–1443।

[9] निरजा गोपाल जायलः लोकतंत्र और राज्यः समकालीन भारत में कल्याण, धर्मनिरपेक्षता और विकास, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।

[10] बीमैन, लॉरी, आदिः ''सशक्त महिलाएंः क्या संपर्क पूर्वाग्रह को कम करता है?'' द क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, खंड 124, अंक 4, 2009, पृष्ठ 1497–1540।

[11] 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992)।

[12] भारत सरकारः संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992: विधि और न्याय मंत्रालय, 1992।

[13] एम.पी. सिंहः भारत का संविधानः विधिक, राजनीतिक और सामाजिक आयाम, दीप एंड दीप पब्लिकेशंस, 2005।

[14] भारत सरकारः पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2020–21।

[15] आशा शर्माः ''पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका'' कुरुक्षेत्र, खंड 68, अंक 3, 2020, पृष्ठ 21–24।

[16] आशा किरण राजः ''पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरणः मध्य प्रदेश में एक अध्ययन'' इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, खंड 63, अंक 2, 2017, पृष्ठ 223–239।

[17] एस. पांडेयः ''ग्राम पंचायतों में महिला नेताओं का प्रभाव'' जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, खंड 34, अंक 4, 2015, पृष्ठ 453–468।

[18] अभा सिंहः ''पंचायतों में प्रॉक्सी नेतृत्व'': मेनस्ट्रीम वीकली, खंड 50, अंक 13, 2012।

[19] ऋतु खोसलाः ''निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में निर्णय लेने की शक्ति'' सोशल चेंज, खंड 49, अंक 1, 2019, पृष्ठ 80–93।

[20] नेहा शर्माः भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति. नई दिल्लीः भारतीय सामाजिक अध्ययन संस्थान, 2019।

[21] अजंली वर्माः ''पितृसत्ता और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी'' समकालीन राजनीति, वाल्यूम 12, इशु 2, 2020, पृ. 45–59।

[22] राजीव सिंहः ''ग्राम पंचायतों में महिला नेतृत्व की चुनौतियाँ'' ग्रामीण विकास जर्नल, वाल्यूम 8, नं. 1, 2018, पृ. 22–31।

[23] कविता मिश्राः महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बाधाएँ. वाराणसीः नारी प्रकाशन, 2021।

[24] अनुच्छेद 14, 15, 16, भारत का संविधानः भारत सरकार प्रकाशन, 1950।

[25] भारत सरकारः 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।

[26] सविता सिंहः भारत में पंचायत और महिला नेतृत्व, भोपालः जनपथ प्रकाशन, 2020।

[27] ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 210।

[28] सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. राम कृष्ण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 210।

[29] नीलम चौधरीः ''स्थानीय शासन में महिला आरक्षण का प्रभाव'' भारतीय विधि समीक्षा, खंड 15, अंक 2, 2022, पृ. 72–85।

[30] विवेक कुमार झाः बिहार की पंचायतों में महिलाओं की भागीदारीः स्थानीय शासन पत्रिका, खंड 11, अंक 1, 2020, पृ. 33–46।

[31] वही।

[32] रेखा यादवः मध्यप्रदेश की ग्रामीण महिलाएँ और नेतृत्व. भोपालः ग्रामीण समाज अध्ययन संस्थान, 2019।

[33] आनंद तिवारीः ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधित्वः मध्यप्रदेश पंचायत आम निर्वाचन 2022 के विशेष संदर्भ मेंः इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ हयूमनिटिज एण्ड शोशल सांइस रिसर्च, आई.एस.एस.एन.: 2455–2070, खंड 8, अंक 6, 2022, पृष्ठ संख्या 48–55, https://www.socialsciencejournal.in/assets/archives/2022/vol8issue6/8-5-34-961.pdf

[34] आनंद तिवारीः ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधित्वः मध्यप्रदेश पंचायत आम निर्वाचन 2022 के विशेष संदर्भ मेंः इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ हयूमनिटिज एण्ड शोशल सांइस रिसर्च, आई.एस.एस.एन.: 2455–2070, खंड 8, अंक 6, 2022, पृष्ठ संख्या 48–55, https://www.socialsciencejournal.in/assets/archives/2022/vol8issue6/8-5-34-961.pdf

[35] आनंद तिवारीः ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधित्वः मध्यप्रदेश पंचायत आम निर्वाचन 2022 के विशेष संदर्भ मेंः इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ हयूमनिटिज एण्ड शोशल सांइस रिसर्च, आई.एस.एस.एन.: 2455–2070, खंड 8, अंक 6, 2022, पृष्ठ संख्या 48–55, https://www.socialsciencejournal.in/assets/archives/2022/vol8issue6/8-5-34-961.pdf

[36] आनंद तिवारीः ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधित्वः मध्यप्रदेश पंचायत आम निर्वाचन 2022 के विशेष संदर्भ मेंः इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ हयूमनिटिज एण्ड शोशल सांइस रिसर्च, आई.एस.एस.एन.: 2455–2070, खंड 8, अंक 6, 2022, पृष्ठ संख्या 48–55, https://www.socialsciencejournal.in/assets/archives/2022/vol8issue6/8-5-34-961.pdf

****